प्रेस नोट
दिनांक 10.06.2025

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना को0 देहात की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी 99,000/– रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः–

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के मार्गदर्शन में थाना को0 देहात की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि **99,000/–** पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 30.01.2025 को आवेदक जयप्रकाश शुक्ला के साथ साइबर ठगो द्वारा ऑनलाइन यू0पी0 आई0 के माध्यम से साइबर ठगी कर उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए थे। जिसकी पीड़ित द्वारा 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज करायी गयी थी तथा थाना को0 देहात की साइबर हेल्पडेस्क को प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसपर थाना को0 देहात की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ित के 99,000/– रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना को0 देहात की साइबर हेल्पडेस्क की टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट– साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स–

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 10.06.2025

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 36,500/- रू0 नगद, 2156 रूपये के सिक्के बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-131/2025 धारा 303(2) बीएनएस एवं 132/2025 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त कुंवर शुक्ला पुत्र अमरजीत उर्फ दद्दन शुक्ला निवासी शंकर चौराहा, नगर पंचायत कटरा बाजार को उसके घर से गिरफ्तार कर घर में बने शौचालय से ₹34,500/- नगद व ₹2,156/- के सिक्के बरामद किए गए।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी रवि गुप्ता पुत्र जयनारायण गुप्ता, निवासी तिलका चांदी, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर देकर अवगत कराया कि दिनांक 09.06.2025 को सुबह करीब 9:20 बजे उनकी जनसेवा केंद्र की दुकान से प्रतिवादी कुंवर शुक्ला द्वारा ₹60,000 नकद चोरी कर लिया गया,
वादी की तहरीर पर थाना कटराबाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 10.06.2025 थाना कटराबाजार के उ0नि0 अवधेश यादव व उ0नि0 शिवम गुप्ता की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त कुंवर शुक्ला पुत्र अमरजीत उर्फ दद्दन शुक्ला निवासी शंकर चौराहा, नगर पंचायत कटरा बाजार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के घर में बने शौचालय से ईंटों के नीचे छुपाकर रखे गए काले रंग की पॉलीथिन से ₹34,500/- नगद व ₹2,156/- के सिक्के बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त कुंवर शुक्ला पुत्र अमरजीत उर्फ दद्दन शुक्ला से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें उसने स्वीकार किया कि दिनांक 09.06.2025 को वह कन्या पाठशाला के सामने स्थित जनसेवा केंद्र की दुकान में उस समय घुसा था जब संचालक रवि गुप्ता दुकान खुली छोड़कर पास के होटल पर पानी लेने गया था। उसी दौरान उसने दुकान के गल्ले से ₹60,000/- चुरा लिए। पूछताछ में अभियुक्त ने यह भी कबूल किया कि चोरी की गई रकम में से कुछ खर्च कर दिया गया है और शेष ₹34,500/- नकद व ₹2,156/- के सिक्के उसने अपने घर में बने शौचालय में ईंटों के नीचे काले रंग की पॉलीथिन में छिपाकर रखे थे। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि बरामद सिक्के उसने बाबा किराना स्टोर से चुराए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कुंवर शुक्ला पुत्र अमरजीत उर्फ दद्दन शुक्ला निवासी शंकर चौराहा, नगर पंचायत कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 131/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–132/2025 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 36,500/– रू0 नगद
02. 2156 रूपये के सिक्के

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 अवधेश यादव।
02. उ0नि0 शिवम गुप्ता।
03. हे0का0 सुनील कुमार।
04. का0 चन्द्रपाल।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 10.06.2025

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–129/2025, धारा 115(2),108,238 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त चन्द्रकान्त सोनकर पुत्र रूसे निवासी ग्राम ब्रह्मचारी कुट्टी पुरे सिधारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08.06.2025 को थाना इटियाथोक पर वादिनी मीना देवी पत्नी चन्द्रकान्त सोनकर निवासी ग्राम ब्रह्मचारी कुट्टी पुरे सिधारी द्वारा तहरीर दी गई कि उसके पति द्वारा मारपीट किए जाने से क्षुब्ध होकर उसकी 15 वर्षीय पुत्री कोमल उर्फ चाँदनी ने नीम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पति चन्द्रकान्त व उसके भाई जयकरन ने शव को उतारकर कही छिपा दिया व मौके से फरार हो गए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 10.06.2025 को थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त चन्द्रकान्त सोनकर पुत्र रूसे निवासी ग्राम ब्रह्मचारी कुट्टी पुरे सिधारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को राजापुर से धर्मेई जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. चन्द्रकान्त सोनकर पुत्र रूसे निवासी ग्राम ब्रह्मचारी कुट्टी पुरे सिधारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–129/2025, धारा 115(2),108,238 बीएनएस थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 धर्मराज शर्मा।
02. हे0का0 दिनेश मद्धेशिया।
03. हे0का0 राघवेन्द्र प्रताप शाही।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 10.06.2025

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 20,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.07.2014 को थाना को0 नगर में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें को0 नगर पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त कान्हा दुबे पुत्र हृदय नारायण दुबे नि0 समई राज-पुतानी थाना ज्ञानपुर जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 25.08.2014 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री अनूप प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर व थाना को0नगर के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 10.06.2025 को दोषी अभियुक्त कान्हा दुबे को श्री विकास कुमार अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 नवीन द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्त का नाम पता-

01. कान्हा दुबे पुत्र हृदय नारायण दुबे नि0 समई राज-पुतानी थाना ज्ञानपुर जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही)।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0-555/14, धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।